

-:: मैनुअल-12 ::-

(स हायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं)

वर्तमान में समस्त योजनाओं में कार्य संचालित हैं जिसके सापेक्ष लाभार्थियों की सूची कार्यालय में रक्षित रहेगी तथा योजनाअनुसार ही कार्य किया जायेगा।

विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों / कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक नियमों का कार्यक्रमवार विवरण—

- 1— लघु सीमान्त कृषक— 4 एकड़ से कम जोत वाले कृषकों को ही अनुदान, बीज वितरण, कीटनाशक में अनुदान।
- 2— सामान्य/अनु0जति/जन जाति— 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सामान्य जाति।
- 3— किसी विशेष प्रोग्राम पर राज्य सरकार/भारत सरकार एवं कार्य योजना के आधार पर।